

1	विभाग का नाम	कृषि
2	योजना का नाम	प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	<p>1— कृषकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि स्नातकों को प्रशिक्षित कराया जाता है।</p> <p>2— कृषि निवेशों पर निर्गत किये जाने वाले लाइसेंस निशुल्क प्रदान किया जाता है।</p> <p>3— चयनित लाभार्थी को योजनान्तर्गत 3.50 लाख रु0 न्यूनतम दर 5.5% ब्याज पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।</p> <p>4— योजनान्तर्गत उद्यमी को 1 वर्ष तक उद्यम केन्द्र का किराया 1000 रु0/माह की दर से शासन द्वारा देय है।</p>
4	पात्रता की अर्हता	समस्त कृषक
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	ऑनलाईन आवेदन से किसान पादशी पोर्टल पर पंजीकरण तथा चयन उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित विकास खण्ड पर स0वि0अ0कृषि के माध्यम से
6	लिंक वेबसाईट	http://upagriculture.com/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।